शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त

[स्रोत: द हिंदू]

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ने **श्रीलंका में वापस लौटने वाले तमिल शरणार्थियों की गिरफ्तारी** के बाद **भारत से श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी को अस्थायी रूप से निलंबित** कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)

- **परिचय: UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी** है, जिसकी स्थापना **वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विस्थापित लोगों की सहायता** के लिये की गई थी।
  - इसका **मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में है तथा इसका **परिचालन 137 देशों में** है।
- **कानूनी आधार: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन एवं वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल** द्वारा निर्देशित, जो **शरणार्थियों को परिभाषित** करता है और उनके **अधिकारों एवं सुरक्षा के लिये वैश्विक मानक निर्धारित** करता है।
- **कार्य:** यह **शरणार्थियों को सुरक्षा, मानवीय सहायता, स्थायी समाधानों (शरण, प्रत्यावर्तन, एकीकरण, पुनर्वास) को बढ़ावा** देता है तथा **अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी नीतियों को तैयार करने में राज्यों को सहायता** प्रदान करता है।

वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन एवं वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल

- **परिचय:** यह अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की नींव रखता है, **शरणार्थी को अपने देश से बाहर के व्यक्ति के रूप में परिभाषित** करता है, जो **उत्पीड़न (जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या सामाजिक समूह के आधार पर) के डर के कारण वापस लौटने में असमर्थ/अनिच्छुक** है।
- **अधिदेश:** यह गैर-वापसी के मूल सिद्धांत को कायम रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि शरणार्थियों को खतरे में न लौटाया जाए, साथ ही आवास, शिक्षा, काम और कानूनी सुरक्षा के अधिकार प्रदान करता है।
  - शरणार्थियों को मेजबान देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिये, हालाँकि **युद्ध अपराध या गंभीर अपराध के दोषियों को संरक्षण** से बाहर रखा जाता है।
- **भारत एवं UNHCR**: भारत ने **वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं** किये हैं। शरणार्थियों का प्रबंधन सामान्य आव्रजन कानूनों के तहत किया जाता है।
  - इसके बावजूद, भारत ने प्रमुख शरणार्थी समूहों -**श्रीलंकाई तमिलों, तिब्बतियों, अफगानों, रोहिंग्याओं** की मेजबानी की है तथा **मानवीय आधार पर UNHCR के साथ सहयोग** करता है।

और पढ़ें: [शरणार्थी और नैतिकता]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/un-high-commissioner-for-refugees